न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 42/2023 (द0प्र0सं0 की धारा 145 के तहत)

प्रकाश कुमार/हुलास मंडल ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

वासुदेव मंडल वगै0 ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

05/02/25

अंचल अधिकारी, सरिया के प्रतिवेदन (पत्रांक 908, दिनांक 07.12.2023) के अवलोकन से संतुष्ट होकर मेरी स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र में दखल-कब्जे को लेकर विद्यमान भू-विवाद तथा उक्त भू-विवाद से लोक परिशांति भंग होने की आशंका पर द0प्र0सं0 की धारा 145 के तहत दिनांक 11.12.2023 को निरोधात्मक कार्यवाई प्रारम्भ की गई तथा उभय पक्ष को नोटिस निर्गत कर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना-अपना लिखित अभिकथन दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

विवादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	अंचल	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
नगर केशवारी	सरिया	24	3439	19 डिसमिल
चौहद्दी :	उ0- बेडिया सुण्डी, द0- भरत सुण्डी, पू0- विशुन सुण्डी, प0- रास्ता,			

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना - अपना पक्ष रखा।

प्रथम पक्ष खिरो मंडल का कहना है कि वादग्रस्त भूमि उनकी खतियानी भूमि है सर्वे खतियान में उनके परदादा गोवर्धन सुण्डी का नाम दर्ज है। उक्त भूमि की जमाबन्दी अंचल कार्यालय के पंजी-II के पृष्ठ सं0-24 भाग सं0- 01 में रैयत धर्म सुण्डी तथा नुनु सुण्डी के नाम से जमाबन्दी कायम है। आगे प्रथम पक्ष का कहना है कि उनके द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर 8 फीट ऊँचाई का चहारदीवारी तथा उक्त चहारदीवारी के उपर कंटीले तार का

fencing किया हुआ है। चहारदीवारी के अन्दर 100 फलदार पेड़ लगाए हुए हैं तथा सिंचाई के लिए बोरिंग भी किए हुए हैं। वर्त्तमान में आलू का फसल लगा हुआ है तथा बाउण्ड्री के अन्दर एक 10'x10' का एक कमरा निर्माण किए हुए हैं। मुख्य रास्ता की ओर 10'x10' का एक मुख्य गेट लगा हुआ है। दिनांक 23.11.2023 को अंचल अधिकारी, सरिया तथा निदेशक, डी0आर0डी0ए0 गिरिडीह उक्त भूमि से संबंधित विवाद की जाँच करने गए थे। जाँच हेतु प्रथम पक्ष द्वारा गेट खोलकर दिखाया जा रहा था उसी समय द्वितीय पक्ष के सभी सदस्यगण हरवे-हथियार से लैस होकर 30-40 व्यक्तियों का एक मजमा बना कर तथा एकमत होकर मेरी जमीन पर अवैध कब्जा करने की नीयत से आ गए तथा लगे हुए फसल तथा पेड़-पौधों को नष्ट कर दिया। साथ ही मेरी जमीन पर अवैध कब्जा कर मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया है। प्रथम पक्ष उक्त भूमि पर वापस कब्जा दिलाने तथा अपने पक्ष में दखल कब्जा संपुष्ट करने का आग्रह करते हैं। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में अंचल अधिकारी, सरिया द्वारा अपर समाहर्त्ता गिरिडीह को प्रेषित एक स्पष्टीकरण पत्रांक 560 दिनांक 14.08.2023 की छायाप्रति, अंचल अधिकारी सरिया द्वारा निर्गत एक नोटिस की छायाप्रति, खाता 24 के खतियान की छायाप्रति, एक ऑनलाइन लगान रसीद की छायाप्रति, एक ऑनलाइन पंजी-II की छायाप्रति तथा दो गवाहों की गवाही दी गई।

वहीं दुसरी ओर द्वितीय पक्ष बासुदेव मंडल का कहना है कि उक्त भूमि तत्कालीन जमीन्दार को Ex Case No. 183/1927-28 तथा नीलामी दस्तावेज 53/1927-28 द्वारा हासिल था एवं उक्त जमीन्दार कुँवर रामेश्वर ना0 सिंह से पट्टा के द्वारा द्वितीय पक्ष के पिता- बोधी सुण्डी को प्राप्त हुआ। साथ ही वे आगे बतलाते हैं कि उक्त भूमि की जमाबन्दी अंचल कार्यालय के पंजी-II भाग सं0 02 पृष्ठ सं0 154 पर बोधी सुण्डी के नाम से कायम है साथ ही उक्त भूमि की खरीद बिक्री भी की गई है। खरीददार गिरिधारी मंडल तथा एक अन्य खरीददार रेखा देवी का भी दाखिल-खारिज हो चुका है तथा उक्त भूमि की जमाबन्दी अंचल कार्यालय में कायम है। द्वितीय पक्ष आगे कहते हैं कि उक्त भूमि पर सदैव द्वितीय पक्ष का दखल-कब्जा रहा है तथा दखल कब्जा को लेकर कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में Ex Case No. 183/1927-28 की छायाप्रति, केवला संख्या 1473 दिनांक 28.04.2017 की छायाप्रति, ऑनलाइन लगान रसीद की छायाप्रति, केवाला सं0 1471 दिनांक 28.04.2017 की छायाप्रति तथा ऑनलाइन शुद्धिपत्र की छायाप्रति दाखिल करते हैं। साथ ही द्वितीय पक्ष दो गवाहों की मौखिक गवाही भी प्रस्तुत करते हैं।

अंचल अधिकारी, सरिया का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसमें वे वर्णन करते है कि विवादग्रस्त भूमि रैयती खाते की है तथा दिनांक 23.11.2023 को

जब वे जाँच के क्रम में गए थे तो प्रथम पक्ष के सदस्यों ने ताला खोलकर दिखलाया था तथा द्वितीय पक्ष के सदस्यों ने जबरण धक्का-मुक्की करते हुए अपना ताला लगा दिया।

थाना प्रभारी, सरिया का भी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसमें उन्होंने भी स्वीकार किया है कि विवादग्रस्त भूमि पर पूर्व में प्रथम पक्ष का कब्जा था परन्तु द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष को बेदखल कर अपना ताला लगा दिया गया है।

वाद की सुनवाई के क्रम में प्रथम पक्ष खिरो मंडल की मृत्यु हो गई अत: उनके पुत्र प्रकाश कुमार को पक्षकार बनाते हुए वाद संचालित किया तथा एक अन्य व्यक्ति हुलास मंडल ने स्वयं को प्रथम पक्ष का अतिरिक्त पक्षकार बनाने का आग्रह किया अत: हुलास मंडल को प्रथम पक्ष का अतिरिक्त पक्षकार बनाते हुए उनका पक्ष भी प्राप्त किया गया।

उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों, मौखिक साक्ष्यों, अंचल अधिकारी सरिया तथा थाना प्रभारी सरिया के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन/अध्ययन करने तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि उभय पक्ष के मध्य विवादग्रस्त भूमि को लेकर स्वत्व (Title) संबंधी विवाद है। स्वत्व (Title) का विचारण अधोहस्ताक्षरी के क्षेत्राधिकार में नहीं है अत: उभय पक्ष विवाद के निपटारे हेतु appropriate suit सक्षम व्यवहार न्यायालय में दायर कर सकते हैं।

दखल कब्जा के बिन्दु पर अंचल अधिकारी, सरिया जो कि घटनास्थल पर स्वयं उपस्थित थे, के जाँच प्रतिवेदन, थाना प्रभारी सरिया के जाँच प्रतिवेदन तथा उपस्थित गवाहों के मुख्य परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण से यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि प्रथम पक्ष के कब्जे में थी जिसे दिनांक 23.11.2023 को बलपूर्वक द्वितीय पक्ष के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अत: स्वत्व (Title) के विधिवत सक्षम न्यायालय से निर्धारण होने तक प्रथम पक्ष को उक्त विवादग्रस्त भूमि पर पुन: कब्जा दिलाने हेतु आदेशित किया जाता है।

उक्त आदेश के साथ ही द0प्र0सं0 की धारा 145 के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है। आदेश की प्रति थाना प्रभारी सरिया, अंचल अधिकारी सरिया को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

05/04/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर, सरिया

05/04/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.04.23 13:20:59 +05:30
Location: 192.168.1.4